न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 466 सन 2024

अनवान :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. मीमांशा चौधरी पुत्री रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
2. वेशेषीका पुत्री रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज कुमार पत्नी रायसाहब जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. शोर्य प्रतापसिह पुत्र रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज कुमार पत्नी रायसाहब जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सरोज कुमारी पत्नी रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता वादी
श्री सुबोध कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/12/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 26/26 की कुल 7.6890हैक भूमि जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा मृतक आनन्द प्रकाश का 1/3 हिस्सा , मृतक रायसाहब के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

मृतक आनन्द प्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद की शादि तो हुई थी लेकिन शादी के कुछ अर्सा बाद ही तलाक हो गया था और तलाक देकर व किसी दुसरे के यहा चली गयह थी आन्नद प्रकाश के कोई औलाद नही थी ना ही मृतक ने दुसरी शादि की गई थी आनन्द प्रकाश का देहान्त दिनांक 31.07.2023 को हो चुका है इसकी माता की मृत्यू भी इससे पहले दिनाक 13.05.2024 को हो चुकी है और भाई रायसाहब की मृत्यू इससे पहले दिनांक 13.08.2021 को हो चुकी है इसलिये वादी पिता ही एक मात्र वारिसा होने के कारण मृतक आनन्द प्रकाश के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की आनन्द प्रकाश के नाम दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भू[illegible] का नाम हटा कर वादी के नाम दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक तो [illegible] आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 [illegible]एन ए के खाता संख्या 26/26 में दर्ज कुल भूमि 7.6890[illegible] भूमि में वादी 2/3 [illegible] का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी नोहर

काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हिस्सा यथावत रहेगा की घोषण करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इकवाल दावा शामिल मिसल किया गया पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे वादी के वाद का ऐतराज पेश नही होने के कारण तनकी की आवश्यता नही रही साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 26/26 की कुल 7.6890हैक भूमि जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा मृतक आनन्द प्रकाश का 1/3 हिस्सा , मृतक रायसाहब के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

मृतक आनन्द प्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद की शादि तो हुई थी लेकिन शादी के कुछ अर्सा बाद ही तलाक हो गया था और तलाक देकर व किसी दुसरे के यहा चली गयह थी आन्नद प्रकाश के कोई औलाद नही थी ना ही मृतक ने दुसरी शादि की गई थी आनन्द प्रकाश का देहान्त दिनांक 31.07.2023 को हो चुका है इसकी माता की मृत्यू भी इससे पहले दिनाक 13.05.2024 को हो चुकी है और भाई रायसाहब की मृत्यू इससे पहले दिनांक 13.08.2021 को हो चुकी है इसलिये वादी पिता ही एक मात्र वारिसा होने के कारण मृतक आनन्द प्रकाश के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज ही है तथा अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया गया है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया वादी ने अपने वाद का साबित करने के लिये जमाबन्दी सम्वत 2075–78 प्रर्दश 1 , चित्रप्रति मृत्यू प्रमाण पत्र बहक रायसाहब , चित्रप्रति मृत्यू प्रमाण पत्र बहक आनन्द प्रकाश , चित्रप्रति मृत्यू प्रमाण पत्र बहि सन्तोष , चित्रप्रति ऐडीजे कोर्ट सिरसा मु0न0 69/2007 निर्णय दिनांक 10.05.208 प्रस्तुत किये गये है।

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 26/26 की कुल 7.6890हैक भूमि जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा मृतक आनन्द प्रकाश का 1/3 हिस्सा , मृतक रायसाहब के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से दर्ज है।

वादी का कथन है कि आनन्द प्रकाश का देहान्त हो चुका है उसके कोई वारिस नही है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार आनन्द प्रकाश की शादि हुई थी किन्तु तलाक हो गया उसके बाद उसने दुसरी शादी नही हुई है जो पत्रावली में उपलब्ध निर्णय की प्रति से साबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:29 IST
Reason: SelfAttested

आनन्द प्रकाश का देहान्त हो चुका है आनन्द प्रकाश के देहान्त होने पूर्व ही उसके भाई रायसाहब दिनांक 13.08.2021 को देहान्त हो चुका है इसीप्रकार आनन्द प्रकाश की माता सन्तोष भी देहानत आनन्द प्रकाश से पहले दिनांक 13.05.2023 को हो चुका है अर्थात आनन्द प्रकाश पुत्र जगदीश के देहान्त होने से पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उसके भाई रायसाहब और उसकी माता का देहान्त हो चुका था जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है।

आनन्द प्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद के देहान्त होने से पूर्व उसके भाई रायसाहब एव माता सन्तोष का देहान्त होने के कारण प्रथम श्रेणी का वारिस उसका पिता ही शेष है जो आनन्द प्रकाश के नाम दर्ज भूमि को पाने का अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो आनन्द प्रकाश के भाई रायसाहब के वारिसान है जो वर्तमान में रायसाहब के नाम दर्ज भूमि रायसाहब के देहान्त होने के बाद विरास्तन से दर्ज करवाकर वादी के साथ सयुक्त खाते में दर्ज है ने भी निवेदन किया है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

यहॉ यह उल्लेखनिय है कि वाद में प्रार्थीया पुनम ने प्रार्थना पत्र. पेश किया गया था कि वह आनन्द प्रकाश की पत्नी है किन्तु वह आनन्द प्रकाश की विधिमान्य /विधिवत पत्नी होना साबित नही सकी जिसके कारण प्रार्थीया पुनम का आनन्द प्रकाश का वारिस नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार आनन्द प्रकाश का देहान्त होने के बाद वादी जो आनन्द प्रकाश का पिता है प्रथम श्रेणी का वारिस है जो आनन्द प्रकाश के नाम दर्ज भूमि का अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 26/26 की कुल 7.6890हैक भूमि में वादी 2/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक आनन्द प्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद का नाम कलमजन किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हक हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जगदीश प्रसाद पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर

वादी

बनाम

1 मीमांशा चौधरी पुत्री रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
2. वेशेषीका पुत्री रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. शोर्य प्रतापसिह पुत्र रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सरोज कुमारी पत्नी रायसाहब जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 466 सन 2024 निर्णय दिनांक– 04/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि_रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 26/26 की कुल 7.6890हैक भूमि में वादी को 2/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है मृतक आनन्द प्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद का नाम कलमजन किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हक हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:29 IST
Reason: SelfAttested